जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2 (92)जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2021/डी– 94　　　　दिनांकः– 21/01/2022

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 166वीं बैठक दिनांक 31.12..2021 को 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "मंथन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये:–

क्र. सं	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	166:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 165वीं बैठक दि. 26.11.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 165वीं बैठक दिनांक 26.11.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित अनुपालना रिपोर्ट पर लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिए गए।
2.	4	166:2	अपोलो नगर गृ.नि.स.समिति लि. की योजना लाल बहादुर नगर के भूखण्ड सं. पी–11 में बढे हुए क्षेत्रफल 44.93 वर्गगज का आवंटन करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया जाकर प्रश्नगत भू. सं. पी–11 के साथ लगतेहुए भू.सं. 12, 13, 14 की भूमि की नाप करवायी जावे, राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) 1974 के नियम 23 के अनुसार स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के लिए लगते हुए भूखण्डधारी भू.सं. पी–11 एवं पी–14 के मध्य सीमित नीलामी के द्वारा निस्तारण किया जावें, इसके लिए प्रथमतः सार्वजनिक सूचना जारी की जावे तत्पश्चात् नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए जोन स्तर पर प्रकरण का निस्तारण किया जावें ।

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

3.	12	166:3	ईसाई समाज के कब्रिस्तान व कम्यूनिटी हॉल हेतु 2 एकड़ भूमि व विश्नोई समाज के मौक्ष धाम हेतु 1 एकड भूमि ग्राम रामला का बास में आरक्षित की गई भूमि को निरस्त करने बाबत्।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया जाकर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये प्रकरण के विस्तृत परीक्षण हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है जो 15 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :— 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जयपुर —अध्यक्ष। 2. अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) जविप्रा— संयोजक। 3. उपखण्ड अधिकारी, जयपुर । 4. उपायुक्त जोन—12, जविप्रा।
4.	पीआरएन उत्तर—प्रथम	166:4	जविप्रा की योजना गोकुल नगर के सुविधा क्षेत्र एफ—2 की भूमि में से 33/11 के.वी.सब स्टेशन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि विद्युत विभाग को आवंटित करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया जाकर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जविप्रा की योजना गोकुल नगर के सुविधा क्षेत्र एफ—2 की भूमि में से 1000 व.मी. भूमि 33/11 के.वी. विद्युत सब स्टेशन का निर्माण हेतु आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर कर स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
5.	10	166:5	उपायुक्त जोन—10 द्वारा अंशु अग्रवाल, अनुराधा पत्नी कन्हैया, खेम चन्द गुप्ता, आशा माहेश्वरी को रिंग रोड के मुआवजे में 10/OAG/21,10/OBG/115, 10/OAG/22 तथा 10/IBG/119 आवंटित कर दिये गये जो कि पूर्व में ही किसी अन्य को आवंटित थे, इनके स्थान पर कमशः 10/OBG/45, 10/IBG/32,10/IBG/116 तथा 10/IBG/123 दिया जाना है, इनमे 10/OBG/45 कॉर्नर से लगता भूखण्ड है।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह नोट किया गया कि जोन स्तर पर लिपिकीय त्रुटि के कारण पूर्व में आवंटित भूखण्डों को पुनः लॉटरी मे शामिल करने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है । अतः जोन उपायुक्त को निर्देशित किया जावे कि जोन स्तर से ही आवेदकों की स्वामित्व व मुआवजे के रूप में भूखण्ड प्राप्त करने की योग्यता का पुनः परीक्षण किया जाकर पुनः लॉटरी के द्वारा आवंटन की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावे । उक्त कार्यवाही के दौरान यह ध्यान रखा जावे कि मूल योग्यतानुसार ही आउटर रिंग रोड/इनर रिंग रोड, सडक की चौडाई आदि पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए ही लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित किया जावें ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर